वायु प्रदूषण का संकट

अनिल आनंद

वर्तमान में पर्यावरण की जिस विपत्ति का सामना हम कर रहे हैं, वह वास्तव में प्रकृति के विरुद्ध एक युद्ध की स्थिति है. प्रश्न यह है कि आखिर क्यों हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो मानव मात्र को अनेक उपहार प्रदान करती है, जिनमें वायु, जल और हरित आच्छादित क्षेत्र, सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो जीवन को स्थायित्व प्रदान करते हैं.

आज शुद्ध हवा, स्वच्छ जल और पेड़-पौधों सहित प्रकृति के समग्र आयाम खतरे से गुजर रहे हैं. पर्यावरण प्रदूषण के सभी दुष्प्रभाव भारत में विनाशकारी रूप में प्रकट हो रहे हैं. शीत ऋतु प्रारंभ होते ही राजधानी शहर दिल्ली में धुएं की एक मोटी चादर समूचे वातावरण में छा जाती है. समाचारों की सुर्खियां बनने वाला यह धुआं क्या सिर्फ वायु प्रदूषण है? निश्चित रूप से यह एक गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन यह समस्याओं के विस्तृत जाल का एक हिस्सा मात्र है.

वायु प्रदूषण पैदा होने के कारणों को लेकर जारी बहस पराली जलाने और वाहनों तथा दशहरा-दीपावली जैसे त्योहारों के अवसर पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण के इर्द-गिर्द केंद्रित है. इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इन घटकों का प्रदूषण में योगदान है और वे वायु प्रदूषण तथा समग्र पर्यावरण विकृति में इजाफा कर रहे हैं. आज समय की यह मांग है कि पर्यावरण ह्रास के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाए और इस संकट पर काबू पाने के लिए विश्वभर में हो रही वैज्ञानिक खोजों और नवाचारों पर विचार किया जाए.

भारत के उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों और अन्य राज्यों में किसानों द्वारा पराली जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण संबंधी एक मामले की सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर गंभीर चिंता प्रकट की. शीर्ष अदालत की टिप्पणी को सिर्फ सरकारों की निंदा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि समग्र परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए. इससे एक बार फिर खतरे की घंटियां बज उठी हैं और यह इस तथ्य की ओर संकेत है कि मौजूदा वायु प्रदूषण की स्थिति धरती पर जीवन के प्रति खतरा बन गई है.

यह खतरा न केवल गंभीर दिख रहा है बल्कि विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि यह दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है. उदाहरण के लिए आस्ट्रिया में इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर अप्लाइड सिस्टम्स एनालिसिस (आईआईएएसए) और नई दिल्ली में ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) ने एक साथ अपनी अपनी अध्ययन रिपोर्ट जारी की हैं, जिनमें बताया गया है कि 2030 तक 67.4 करोड़ भारतीय बेहद प्रदूषित वायु में सांस ले रहे होंगे. यह सब इसके बावजूद होगा कि भारत मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण नीतियों और विनियमों का सतत अनुपालन करता रहे.

तकनीकी रूप में कहें, जैसा कि रिपोर्ट में और सुझाव दिए गए हैं, 2030 में भारतीयों को उच्च प्रदूषक संकेंद्रण वाली वायु में सांस लेना होगा, जिसमें पीएम 2.5 जैसे प्रदूषकों की मात्रा बहुत अधिक होगी. अध्ययन से यह भी पता चला है कि भारत में गंगा के मैदान, जिस पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य स्थित हैं, में पीएम 2.5 के संकेंद्रण का स्तर बहुत ऊंचा होने की आशंका है, जिसका दुष्प्रभाव सर्वाधिक आबादी पर पड़ेगा. इसका प्रमुख कारण यह है कि इस क्षेत्र में प्रदूषण स्रोत अत्यंत गहन हैं और हिमालय पर्वतमाला की मौजूदगी से इसके वातायन में रुकावटें आती हैं.

ये अध्ययन अकेले नहीं हैं, इससे पहले भी अनेक अध्ययन किए गए हैं और अनुसंधान आलेखों में पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते खतरों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है. विशेष रूप से वायु और जल प्रदूषण के खतरे निरंतर उजागर किए जाते रहे हैं. इन चिंताजनक संकेतों को देखते हुए केंद्र में विभिन्न सरकारों द्वारा निरंतर अभियान चलाए गए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरी गंभीरता के साथ पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए संघर्ष शुरू किया है. उन्होंने अत्यंत सक्रियता के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर इस मुद्दे को उठाया है.

इस समूची समस्या के मूल में जनसंख्या विस्फोट है. प्रदूषण पैदा करने वाले अन्य सभी मुद्दे जनसंख्या की गति से संचालित हैं. देश में वायु प्रदूषण की समस्या को ही लीजिए, जो बढ़ती आबादी के साथ निरंतर बढ़ती जा रही है. आबादी बढ़ने से उसके अनुरूप वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी स्वाभाविक है और नतीजतन वाहनों और घरेलू उपयोग के लिए ईंधन के इस्तेमाल में वृद्धि होती है. बढ़ती जनसंख्या के दबाव से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली कमजोर पड़ती है, भूमि के इस्तेमाल की पद्धतियां दुष्प्रभावित होती हैं और औद्योगीकरण में इजाफा होता है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण संबंधी नियम निष्प्रभावी हो जाते हैं, जो भले ही समस्या का पूर्ण समाधान न करते हों लेकिन उन्हें कम से कम कुछ हद तक उस पर नियंत्रण करने में सफल होना चाहिए.

यह उपयुक्त समय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न घटकों का व्यापक एवं समन्वित अध्ययन शुरू किया जाए. इस चुनौती से निपटने के लिए टुकड़े-टुकड़े समाधान से बात नहीं बनेगी बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा.

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यह दृष्टिकोण सही है कि वे इस मुद्दे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही मंचों पर उठा रहे हैं. आखिरकार यह एक वैश्विक समस्या है और इसका समाधान सभी स्तरों पर समन्वित प्रयासों के जरिए ही किया जा सकता है.

केंद्र और राज्यों के मामले में तथा स्वयं राज्यों के बीच समग्र दृष्टिकोण का अभाव लगता है. समन्वय के अभाव का एक चिंताजनक उदाहरण हर वर्ष दिल्ली में देखा जाता है, जब राजधानी को गंभीर वायु प्रदूषण के दिनों से गुजरना पड़ता है. ठोस उपाय किए जाने की बजाए पर्यावरण की समस्या दोषारोपण अथवा राजनीतिक रोटियां सेंकने तक सिमट कर रह जाती है. नतीजतन, बुनियादी मुद्दे को अगली बार फिर वैसी ही स्थिति पैदा होने के लिए छोड़ दिया जाता है.

पर्यावरण की संरक्षा एक राष्ट्रीय विषय होना चाहिए, जिसमें राज्य भी समान भूमिका अदा करें. सीमित अवधि के लिए तात्कालिक प्रतिबंधों से बात बनने वाली नहीं है. दिल्ली सरकार की सम-विषम योजना ऐसा ही तात्कालिक उपाय है. इसे वाहनों का प्रदूषण कम करने की दिशा में एक तात्कालिक प्रबंध के रूप में तो देखा जा सकता है परंतु इस तरह के अंतरिम उपायों से कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सकता. इसके लिए लंबी और अल्पावधि की योजनाएं बनानी होंगी और दीर्घावधि की योजना में प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर रोक और ऐसे ही अन्य विकल्प खोजने होंगे. इन वस्तुओं के उत्पादन या बिक्री के साथ बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है. वैकल्पिक उपायों की योजना बनाते समय ऐसे लोगों की आजीविका के लिए वैकल्पिक साधन भी सुनिश्चित करने होंगे.

यह उपयुक्त होगा कि भारत में वायु प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख स्रोतों पर एक निगाह डाली जाए क्योंकि वर्तमान बहस पर्यावरण के इसी ह्रास पर केंद्रित है. इसे मुख्य रूप से निम्नांकित शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है: वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, कृषि गतिविधियां, धूल और जंगल की आग, विद्युत संयंत्र, वन कटाई और इलेक्ट्रॉनिक कचरा.

ट्रकों, जीपों, कारों, रेलगाड़ियों, विमानों सहित वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषण से वायु प्रदूषण में भारी इजाफा होता है.

पराली जलाए जाने से उत्पन्न वर्तमान बहस कृषि प्रदूषण का एक प्रकार है. समग्र परिप्रेक्ष्य में देखें तो पर्यावरण की चुनौतियों को देखते हुए कृषि अनुसंधान की आवश्यकता है. इसमें तद्नुरूप फसल चक्र प्रणालियां और प्रयुक्त तकनीक शामिल है.

अनेक ऐसे विस्तृत मुक्त भूमि क्षेत्र और निर्माण स्थल हैं, जहां कोई वनस्पति नहीं है. ये क्षेत्र खुश्क हैं, क्योंकि वहां बारिश कम होती है और नतीजतन वायु से धूल भरी आंधी आती है.

चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां कोयला जलाया जाता है. वर्ष के दौरान 210 गीगावाट बिजली में से अधिकतर कोयले से पैदा की जाती है. यदि 160 गीगावाट वार्षिक विद्युत पैदा करने का प्रस्ताव अमल में लाया जाता है तो स्थिति और भी खराब हो जाने की आशंका है. वनों के ह्रास को देखते हुए पर्यावरण का संकट और भी बढ़ जाता है.

वनों का ह्रास वातावरण को कई तरह से दुष्प्रभावित करता है. कार्बन संतृप्ति एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके जरिए वन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सिंक का काम करते हैं.

पर्यावरण के प्रति एक नया खतरा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के रूप में सामने है. यह प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के दुष्प्रभावों में से एक है. इलेक्ट्रॉनिक कचरे को किस तरह से निपटाया जाए, यह विश्वभर में एक गंभीर चुनौती है.

वायु प्रदूषण और नतीजतन जहरीले प्रदूषकों का सांस के जरिए मानव शरीर में जाना सभी आयु समूह के लोगों, विशेषकर बजुर्गों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य का एक गंभीर संकट है. 2017 में बीमारियों के वैश्विक बोझ के बारे में कराए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में हर तीन मिनट में एक बच्चे की मौत सांस के जरिए जहरीले प्रदूषक शरीर में जाने के कारण होती है. इस अध्ययन के अनुसार अकेले 2017 में वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के कारण 1,95,546 बच्चों की मौत हुई अर्थात् हर रोज औसतन 535 मौत दर्ज हुईं.

शिशु मृत्यु के लिए जिम्मेदार दूसरा प्रमुख कारण, जैसा कि इस अध्ययन में बताया गया है, एलआरआई अर्थात् लोअर रेस्पिरेटरी ट्रेक्ट इन्फैक्शन है. यह बीमारी प्रदूषित वायु में सांस लेने से होती है. एलआरआई के कारण शून्य से पांच वर्ष के आयु समूह के करीब 1,85,422 बच्चों, 5 से 10 वर्ष आयु समूह के करीब 10,124 बच्चों की मौत हुई. इस अध्ययन में बताया गया है कि पिछले 27 वर्षों में 6 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले एक करोड़ से अधिक बच्चों की मौत हुई है.

यह समस्या अखिल भारतीय है, जिसमें सबसे अधिक मौतें राजस्थान में दर्ज हैं. 2017 में राजस्थान में वायु प्रदूषण के कारण एक लाख बच्चों पर 126 मौत दर्ज हुई. इसके बाद दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश और तीसरा बिहार का था. नगालैंड, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी बड़ी संख्या में इस वजह से बच्चों की मौतें हुईं. 2017 में ही दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण 41 बच्चों की मृत्यु हुईं.

इस वजह से सबसे कम मौत केरल, तमिलनाडु, गोआ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में दर्ज हुई.

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण की समस्या 2010 के बाद से अधिक विकराल होती गई है. 2015-16 में विभिन्न सम्बद्ध पक्षों, जैसे मीडिया, सिविल सोसायटी और नागरिक संगठनों ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया. प्रदूषण की वजह से पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) संकेंद्रण में बढ़ोतरी होने लगी है.

वास्तव में 1990 के दशक में यह सिलसिला शुरू हुआ, जब भारतीय शहर विषाक्त होने लगे. यह क्षति इस बात के बावजूद हुई कि 1980 के दशक में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कड़े कानून बनाए गए. इनमें वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 शामिल है.

(लेखक नई दिल्ली स्थित वरिष्ठ पत्रकार हैं. ईमेल a.anil.anand@gmail.com)

व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं.

(चित्र सौजन्य से: गूगल)